

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

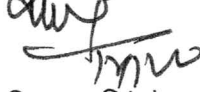
क्रमांक C/7002 /

जबलपुर, दिनांक 18 / 11 / 2025

श्रीमती प्रियंका राजपूत, जूनियर जूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को म.प्र. सिविल सेवा अवकाश नियम 1977 के नियम 38 के अनुसार दिनांक 27.08.2025 से 22.02.2026 तक 180 दिवस का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय

के आदेशानुसार



(धरमिन्दर सिंह)

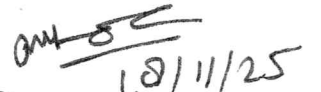
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक G/7003 /

जबलपुर, दिनांक 18 / 11 / 2025

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार (प्रशा.), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. ए.ओ. (जे) स्थापना/लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. सहायक वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. श्रीमती प्रियंका राजपूत, जूनियर जूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



(सुनिल कुमार)

प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (न्या.)